

2022/184

प्रपत्र-8

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, शाहपुरा

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प काल

प्रशासन जाचो के संग कृ.क्र.मा. 2021

-:आदेश:-

202
30612

87
2022

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी व मू.अ.नि. कृत की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम तहसील व जिला की जमाबन्दी सम्वत् में खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	काल	356	मिस्त्री पतिन हरिनारायण	मिस्त्री पतिन हरिनारायण उर्फ हरिनारायण श्रीप ठाकुर मुताबिक अमावसी अक्षयत बहेगा।

(
श्रीप ठाकुर मुताबिक
अमावसी अक्षयत बहेगा।
शाहपुरा लोक अदालत न्यायपुत्र
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, शाहपुरा

क्रमांक :- 203-204

दिनांक :- 30/6/22

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार शाहपुरा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री मिस्त्री पतिन हरिनारायण को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

k
30/6

शाहपुरा लोक अदालत न्यायपुत्र
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.कलक्टर,
शाहपुरा